इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 146] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च 2012—चैत्र 10, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2012

क्र. 8979-वि.स.-विधान-2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 10 सन् 2012) जो विधान सभा में दिनांक 29 मार्च 2012 को पुर:स्थापित हुआ है, जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् २०१२

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, २०१२

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा ३९ का संशोधन.
४. धारा ४४ का संशोधन.
५. धारा ५३ का संशोधन.
६. धारा ६९ का संशोधन.
७. धारा ७६-क का संशोधन.
८. धारा ९२ का संशोधन.
९. धारा १२२ का संशोधन.
१०. धारा १२९ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् २०१२.

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, २०१२.

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (चौबीस), के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(चौबीस-क) ''संकल्प'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, पंचायतों की बैठक में पारित और कार्यवाही रजिस्टर में वर्णित किया गया संकल्प;''

(चौबीस-ख) ''सचिव'' से अभिप्रेत है, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत या ग्राम सभा की किसी समिति का सचिव या सहायक सचिव;

(चौबीस-ग) ''सामाजिक संपरीक्षा'' से अभिप्रेत है, ग्राम सभा क्षेत्र में निष्पादित किए गए सामुदायिक कार्यों और हितग्राही उन्मुख कार्यों की गुणवत्ता से संबंधित व्यय के संबंध में ग्राम सभा के सदस्यों का मत;''.

धारा ३९ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३९ में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(२) उपधारा (१) के अधीन दिए गए निलम्बन आदेश की रिपोर्ट राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी को दस दिन की कालावधि के भीतर की जाएगी और वह ऐसे आदेशों के अध्यधीन रहते हुए होगा जो राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी उचित समझे. यदि निलम्बन आदेश की पुष्टि राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर नहीं की जाती है तो वह निष्प्रभावी कर दिया गया समझा जाएगा.''.

धारा ४४ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ४४ में, उपधारा (५) में, शब्द ''रिपोर्ट ऐसी रीति में तैयार की जाएगी जो विहित की जाए'' के स्थान पर, शब्द ''आय और व्यय की रिपोर्ट अनुमोदित प्राक्कलित वार्षिक बजट के साथ अंकों के तुलनात्मक विवरण के अनुसार तैयार की जाएगी, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सम्मिलन में रखी जाएगी'' स्थापित किए जाएं.

धारा ५३ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ५३ में, उपधारा (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(क) ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, पंचायतों को समुचित स्तर पर बजट तथा कर्मचारिवृंद के साथ ऐसी शक्तियां सौंपी जाएंगी जो कि अनुसूची-४ में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में, जिसके अन्तर्गत आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और स्कीमों का क्रियान्वयन तथा धारा ७, ४९, ४९-क, ५०, ५२ और अध्याय १४-क के अधीन उन्हें सौंपे गए अन्य कर्तव्य और कृत्य आते हैं, स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए उन्हें समर्थ बनाने हेतु आवश्यक हों.''.

धारा ६९ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ६९ में, उपधारा (१) में,—

(एक) आरंभिक पैराग्राफ के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, किसी ग्राम पंचायत के लिए एक सचिव तथा एक या अधिक सहायक सचिवों को नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे कृत्यों का निर्वहन तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जैसे कि राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी द्वारा उन्हें समनुदेशित किए जाएं";

(दो) द्वितीय परन्तुक में, शब्द "सचिव" के स्थान पर, शब्द "सचिव या सहायक सचिव" स्थापित किए जाएं.

धारा ७६-क का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ७६-क में, उपधारा (४) में, शब्द "जनपद पंचायतों" के स्थान पर, शब्द "जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत" स्थापित किए जाएं.

धारा ९२ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ९२ में, उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(४-क) विहित प्राधिकारी द्वारा किसी मामले से संबंधित किसी अभिलेख या वस्तु या धन के लिए आरम्भ की गई वसूली, आरंभिक तारीख से छह माह के भीतर व्ययनित कर दी जाएगी.".

धारा १२२ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा १२२ में, उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(३) ऐसी अर्जी की जांच या उसका निपटारा छह माह के भीतर ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जो विहित की जाए.".

धारा १२९ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा १२९ में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अन्त: स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(३) ग्राम सभा क्षेत्र में, विहित रीति में निष्पादित किए गए सामुदायिक कार्यों तथा हितग्राही उन्मुख कार्य की गुणवत्ता के संबंध में सामाजिक संपरीक्षा, ग्राम सभा द्वारा की जाएगी.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संविधान के तिहत्तरवें संशोधन के उपबंधों के अनुसरण में, राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की गई हैं. इन संस्थाओं को स्वशासी संस्थाओं के रूप में कृत्य करने हेतु समर्थ बनाने के लिए, राज्य सरकार उनके विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इन संस्थाओं को दक्षतापूर्वक चलाने की दृष्टि से, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:—

खण्ड २ शब्द "संकल्प", "सचिव" और "सामाजिक संपरीक्षा" की परिभाषा प्रस्तावित की गई है.

खण्ड ६ यह प्रस्तावित है कि पदधारी के निलम्बन के आदेश की रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी को भी की जा सकेगी.

खण्ड ७ धारा ४४ में आय और व्यय की रिपोर्ट बनाने के लिए प्रक्रिया प्रस्तावित की गई है जो सम्मिलन में रखी जाएगी.

खण्ड ८ यह प्रस्तावित है कि पंचायतों को समुचित स्तर पर बजट और कर्मचारिवृंद के साथ ऐसी शक्तियां सौंपी जाएं जैसी कि आवश्यक हों.

खण्ड ९ पंचायती राज संस्थाओं को दक्षतापूर्वक चलाने की दृष्टि से सहायक सचिव की नियुक्ति का उपबंध प्रस्तावित किया गया है.

खण्ड १० अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत को सहायता अनुदान के रूप में भुगतान किया जाएगा.

खण्ड ११ वसूली के मामले, छह माह के भीतर निपटाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक उपबंध प्रस्तावित किया गया है.

खण्ड १२ यह प्रस्तावित है कि चुनाव अर्जी का छह माह के भीतर निपटारा किया जाए.

खण्ड १३ ग्राम सभा द्वारा सामाजिक संपरीक्षा निष्पादित करने का उपबंध प्रस्तावित किया गया है.

भोपाल :

तारीख २७ मार्च, २०१२.

गोपाल भार्गव
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, २०१२ के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड ६— ग्राम पंचायत के लिए एक सचिव तथा एक या अधिक सहायक सचिवों को नियुक्त किए जाने;

खण्ड ९— अर्जी की जांच या उसका निपटारा छह माह के भीतर नियत प्रक्रिया के तहत किये जाने तथा,

खण्ड १०— ग्राम सभा क्षेत्र के सामुदायिक तथा हितग्राही उन्मुख कार्यों की गुणवत्ता की सामाजिक संपरीक्षा की रीति निर्धारित किये जाने, निर्धारण.

के संबंध में नियम बनाए जाएंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.